संख्या–3447/xx-1 / 2012–4(32)2006

(142)

प्रेषक,

जे0 पी0 जोशी
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

गृह अनुभाग– 1 देहरादूनः दिनांकः 23 नवंबर, 2012

विषयः हनुमान गढी, जनपद नैनीताल में रिपीटर सेण्टर के निर्माण कार्य हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः डीजी–दो–45(8) / 2006 दिनांक 05.11.2012 के क्रम में व शासनादेश संख्या–270 / XX–1 / 18–निर्माण / आयोजनेत्तर / 2006–07 दिनांकः 09 मार्च 2007, जिसके द्वारा हनुमान गढी, जनपद नैनीताल में रिपीटर सेण्टर के निर्माण हेतु रु0 15.60 लाख की लागत पर प्रशासनिक / वित्तीय अनुमोदन प्रदान किया गया है, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि श्री राज्यपाल महोदय, निर्माणाधीन रिपीटर सेण्टर को पूर्ण करने हेतु लागत रू0 15,60,000.00 (रुपये पन्द्रह लाख साठ हजार मात्र) के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 में अवशेष धनराशि रु0 5,60,000.00(रुपये पाँच लाख साठ हजार मात्र) के व्यय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– धनराशि तत्काल आहरित की जायेगी तथा परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेय जल निगम, नैनीताल को उपलब्ध करायी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग तथा कार्य पूर्ण किया जाना प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा। अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय नहीं किया जायेगा। स्वीकृति सम्बन्धी मूल शासनादेश की सभी शर्तें यथावत् रहेंगी। कार्य की प्रगति में तेजी लाने तथा निर्धारित समयावधि में स्वीकृत लागत की सीमा में कार्य पूर्ण किये जाने हेतु कार्यदायी संस्था को अवश्य निर्देशित किया जाय।

3– एकमुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत प्रस्ताव बनाकर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर लें।

4– प्रत्येक कार्य पर धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर किया जायेगा तथा कार्य की अनुमोदित लागत तक ही रखा जायेगा। किसी भी दशा में विलम्ब के कारण आगणन पुनरीक्षण पर विचार नही किया जायगा।

5– स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित बाऊचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल शासन तथा महालेखाकार, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराई जायेगी।

6– स्वीकृत धनराशि का आहरण / व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

7– धनराशि उन्ही मदों पर व्यय की जाय जिसके लिये स्वीकृत की जा रही है।

8– स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा में माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

9– अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण व्यय शीघ्र सुनिश्चित कर इसका वित्तीय / भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत करें।

10– निर्माण एजेंसी के साथ वित्त विभाग के निर्देशानुसार निर्धारित प्रपत्र पर एम0ओ0यू0 कर लिया जाय ।

11– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय आय–व्ययक वर्ष 2012–13 के अनुदान सं0–10 लेखाशीर्षक 4055–पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय, 211–पुलिस आवासं –00–आयोजनागत, 03 पुलिस विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु व्यवस्था(चालू कार्य)–00–24–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

12– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–321/XXVII(1)/2012, दिनांक 19 जून, 2012 के प्राविधानानुसार निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(जे0 पी जोशी)
संयुक्त सचिव

संख्या– संख्या–3447/XX-1/2012–4(32)2006, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून।
2– निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– आयुक्त कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
4– स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
5– जिलाधिकारी, नैनीताल।
6– वित्त नियंत्रक, पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड।
8– वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/नैनीताल।
9– परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, नैनीताल।
10– बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
11– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–5/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
12– गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(जे0पी0 जोशी)
संयुक्त सचिव